कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक– 210 /12–1, दिनांकः मसूरी, 9 जून, 2019।.

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून में मसूरी पुर्नगठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित 2.323 है0 वन भूमि एंव नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। (FP/UK/WATER/42511/2019)

सन्दर्भ :– आपका ई0डी0एस0 दिनांक 17–06–2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 के कम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, (मसूरी) देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 1068/133/71, दि0 02–07–2020(प्रति संलग्न) से विषयांकित वन भूमि के ऑनलाईन प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा इंगित आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव आनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। विषयांकित प्रकरण में उच्च स्तर से इंगित ई0डी0एस0 आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है:–

क.सं.	Objection by Reginal Office	
1.	It is seen that the CA site suitability certificate and muck disposal plan not found uploaded. State Govternment may uploaded these documents as additional document in From A, Part I.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथा संशोधित करते हुए आनलाईन भाग–II के पैरा 9 के (ii) में यथास्थान अपलोड किया गया है। संगत दस्तावेज की मूल प्रति संलग्न है। मलवा निस्तारण प्लान के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र सं0 1068/133/71, दि0 02–07–2020 में उल्लेख किया है कि उक्त परियोजना पेयजल योजना की होने के कारण पाईप लाईन हेतु ट्रेंच खुदान कर लाईन बिछाने के उपरान्त पुनः उत्पादित मलवे से भरान किया जाना है तथा अन्य निर्माण कार्यों का उत्पादित मलवा सुरक्षात्मक दीवालों में भरान में निस्तारित किया जायेगा। अतः विस्तृत मलवा निस्तारण प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 65 पर चस्पा किया गया है। संगत दस्तावेज ऑनलाईन Form A, Part I के Additional information in From A, Part II में अपलोड कर दी गयी है। जिसकी प्रति संलग्न है।
2.	Aerial distanse is mentioned as 1700 metre from Mussoorie wildlife sanctuary. State Govternment may submitthe comments of CWLW in this regard.	Aerial distanse is mentioned as 1700 metre from Mussoorie wildlife sanctuary. इस सम्बन्ध में CWLW की आख्या /टिप्पणी para-13 के Additional information in From A, Part II में अपलोड कर दी गयी है। जिसकी प्रति संलग्न है।
3.	Hard copy of the proposal has not been submitted yet. State Govternment may submit the hard copy of the proposal containing original documents.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन आपत्ति के कम में अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया है कि प्रस्ताव की (03) तीन मूल प्रति पत्र सं0–231/133/10 दिनांक 10–02–2020 एंव पत्रांक 812/133/50 दिनांक 1–6–2020 के द्वारा नोडल कार्यालय में जमा कर दी गयी है। संगत दस्तावेज को para-13 के Additional information in From A, Part II में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है। जिसकी प्रति संलग्न है।

4.	Name of CA site is mentioned as Khairgad Civil & Soyam as well as RF land instead of Goankhet Civil & Soyam in the CA etimate upload in Additional information in From A, Part I.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एंव वृक्षारोपण योजना में चयनित ग्राम /स्थल का नाम संशोधित करते हुए आनलाईन भाग–II के पैरा ... में यथास्थान अपलोड किया गया है। संगत दस्तावेज की मूल प्रति संलग्न है।
5.	In para -4 (i) of part II density is mentioned as 0.4 which does not appear to be correct. Moreover, density is mentioned as 0.3 in the NPV calculation sheet uploade in part I & part II. State Govternment may clarify this discrepancy in information.	प्रस्तावित पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित भूमि का धनत्व को संशोधित कर अपलोड किया गया है।
6.	It is seen from the data given in para-14 of online Part-II i.e. District profile that the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted and progress of CA is very poor. Logically, the CA stipulated should be double the area of forest land diverted and the disparity. If any, is required to be clarified suitably.	Online Part II के District profile details में दर्ज प्रत्यावर्तित 266.7834 है0 वन भूमि के दुगने अवनत /सिविल भूमि में प्रस्तावित 421.578 है0 के सापेक्ष 317.630 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–देहरादून के अन्तर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण में अधिकांश प्रकरणों में प्रत्यावर्तित वन भूमि 1.00है0 से कम होने के कारण भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृतियों में प्रत्यावर्तित वन भूमि के दुगने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान नहीं किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न – उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 210 /दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, (मसूरी) देहरादून को उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 एंव उनके ई0डी0एस0 पत्र सं0 1068/133/71, दि0 02–07–2020 के क्रम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

फोन: 0135–2736032
Email:-
jalnigam.mussoorie@yahoo.com

03/07/2020

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून

पत्रांक: 1068 / 133 / 71 दिनांक: 02/7/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय : मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के वन भूमि प्रस्ताव संख्या (FP/UK/WATER/42511/2019) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./09/51/2020/एफ0सी0/307 दिनांक 12.06.2020 द्वारा मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के वन भूमि प्रस्ताव संख्या (FP/UK/WATER/42511/2019) में ऑन लाईन लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है:–

Sl. No.	OBJECTIONS	REMOVALS (पांच प्रतियों में)
i	It is seen that the CA site suitability certificate and muck disposal plan not found uploaded. State Government may upload these documents as additional document in Part I.	CA उपयोगिता प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया गया है। मलवा निस्तारण प्लान हेतु प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 65 पर चस्पा है। उक्त परियोजना पेयजल योजना [illegible] होने के कारण पाईप लाईन हेतु ट्रेंच खुदान कर पाईप लाईन बिछाकर पुनः उत्पादित मलवे से भरान किया जाना है तथा अन्य निर्माण कार्यों का उत्पादित मलवा सुरक्षात्मक दीवारों की भरान में निस्पादित किया जायेगा। अतः विस्तृत मलवा निस्तारण प्लान की आवश्यकता नही है।
2	Aerial distance is mentioned as 1700 meter from Mussoorie wildlife sanctuary. State Govt. may submit the comments of CWLW in this regard.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध मे प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुति प्रदान कर दी गयी है, प्रमाण–पत्र संलग्न है (पांच प्रतियों में)
3	Hard copy of the proposal has not been submitted yet. State Government may submit the hard copy of the proposal containing original documents.	इस कार्यालय के पत्रांक 231/133/10 दिनांक 01.02.2020 एवं पत्रांक 812/133/50 दिनांक01.06.2020 के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को (03 प्रतियॉ मूल में) तथा पत्रांक 230/133/09 दिनांक 01.02.2020 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी को (02 प्रतियॉ मूल में) प्रेषित की गयी है! जिसकी प्रति संलग्न है। (पांच प्रतियों में)
4	Name of CA site is mentioned as Khairgad Civil & Soyam as well as RF land instead of Gaonkhet Civil and Soyam in the CA estimate uploaded in additional information in Part I.	उक्त बिन्दु आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।
5	In para-4(i) of Part II density is mentioned as 0.4 which does not appear to be correct. Moreover, density is mentioned as 0.3 in the NPV calculation sheet uploaded in Part I & II. State Govt. may clarify this discrepancy in information.	उक्त बिन्दु आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

Van bhomi
प्राप्ति संख्या 243
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 07/07/2020
शाखा

प्रभागीय वनाधिकारी

6	It is seen from the data given in para-14 of online Part-II i.e. district profile that the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted and progress of CA is very poor. Logically, the CA stipulated should bedouble the area of forest land diverted and the dispartly if any, is required to be clarified suitably.	CA हेतु गावखेत के समीप 4.646 है0 सिविल सोयम भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो कि परियोजना हेतु वांछित कुल भूमि 2.323 है0 का दुगुना है। अतः पर्याप्त है। उक्त संशोधन आपके कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

02/07/2020

(सुभाष चन्द्र)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / 133 / तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून ।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

<u>परियोजना का नाम</u> – मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना

<u>क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्ता प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू–प्रत्यावर्तन/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र गौंवखेत, (जनपद टिहरी गढ़वाल) सिविल सोयम भूमि 4.646 है0 वनीकरण कार्य हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
कैम्पटी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम :– मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना

परियोजना से उत्पादित मलवें के निस्तारण की समानचित्र योजना

प्रमाणित किया जाता है कि उत्सर्जित मलवे का निस्तारण स्थल पर किये जाने वाले स्थल विकास कार्यो की भराई में प्रयोग किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को आरक्षित वन भूमि में नहीं फेंका जाएगा।

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद–देहरादून में मसूरी पुर्नगठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित 2.323 हे0 वन भूमि एवं नोटिफाईड प्राईवेट फॉरेस्ट भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। FP/UK/WATER/42511/2019)

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक –4809 / 12–1 दिनांक 30 जून, 2020 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी आख्या कि प्रस्तावित परियोजना / कार्यस्थल की मसूरी वन्यजीव विहार से निकटतम हवाई दूरी 1.700 कि0मी0 आंकलित की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग का अभिमत है कि मसूरी वन प्रभाग के कैम्पटी रेंज अन्तर्गत प्रभावित 2.323 हे0 वन भूमि क्षेत्र विशेष में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों व उनके वास स्थलों पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी की उक्त आख्या के आधार पर प्रस्तावित परियोजना निर्माण की संस्तुति जनहित में की जाती है।

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
02/7/20

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
85–राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न0–0135–2742884 फैक्स–2745691

पत्रांक– 36 / 12–1 दिनांक 02 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
2. अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (मसूरी) देहरादून।

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
02/7/20

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

फोन : 0135-2736032
फैक्स : 0135-2735132
E-mail: jalnigam.mussoorie@yahoo.com

निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कुटुम्ब विहार, ग्राम व पो० सिनौला, देहरादून – 248003

प०सं० 133 / 10 दिनांक 01-02-2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय : मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के वन भूमि प्रस्ताव संख्या (FP/UK/WATER/42511/2019) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के वन भूमि प्रस्ताव संख्या (FP/UK/WATER/42511/2019) में आपकाईन EDS dated 18.01.2020 द्वारा प्रस्ताव की हस्ताक्षरित प्रतियाँ मांगी गई हैं, जिसके क्रम में मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के वन भूमि प्रस्ताव की 03 (तीन) प्रतियाँ मूल रूप में प्रेषित हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

प०सं० / 133 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

प्राप्त
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग, देहरादून।
8-2-2020

अधिशासी अभियन्ता

Van bhomi

फोन: 0135–2736032
Email:-
jalnigam.mussoorie@yahoo.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून

पत्रांक: 812 / 133 / 50 दिनांक: 01/06/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।

विषय : मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के वन भूमि प्रस्ताव संख्या (FP/UK/WATER/42511/2019) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के प्रस्तावों की मूल प्रतियाँ (तीन प्रतियों में) इस कार्यालय के पत्रांक 231 / 133 / 10 दिनांक 01.02.2020 के माध्यम से आपके कार्यालय में दिनांक 03.02.2020 को प्राप्त कराई गई थी (छायाप्रति संलग्न)। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव ऑन–लाईन क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड भारत सरकार के स्तर पर लम्बित है। उक्त प्रस्तावों के ऑन–लाईन Uploaded Form– I, II, III, IV व V की प्रमाणित प्रतियां आपको 03 प्रतियों में प्रेषित की जा रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तावों की हार्ड प्रतियां एवं संलग्नक जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करेंगे।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 812 / 133 / 50 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियन्ता

Van bhomi

योजना का नाम —जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के अन्तर्गत मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण हेतु केम्पटी रेंज के खैरागाड आरक्षित वन भूमि के (अपेक्षित) 2.323 हे0 वन भूमि के बदले दुगने 4.65 हे0 खैरागाड सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक का कार्य करने का प्रावकलन तैयार करना।

आरक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्रफल— 2.323 हे0 X 2 = 4.646 हे0

क्षेत्र जी0पी0एस0 लोकेशन— — H- 918 m. N- 30⁰ 30' 52.7'' E- 077⁰ 59' 39.1''

1—रोपित स्थल का नाम— गांवसेट सिविल सोयम

2—रोपित की जाने वाली पौधों की सं0 1100 पौध प्रति हे0

3—क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का घनत्व— 0.1

4— क्षेत्रफल — 2.323 हे0 X 2 = 4.646 हे0

या— 4.6[illegible] हे0

1—प्रथम, वर्ष 2019—20

क0	कार्य का विवरण	सं0	नपत मी0 में			मात्रा	दर	धनराशि
			लं0	चौ0	ऊं/ग0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	4.65	00	00	00	4.65 Hec.	120.00	558.00
2—	साधारण झाडी कटान	4.65 Hec	00	00	00	4.65	1578.00	7337.70
3—	अग्रिम मृदा दीवाल बन्दी प्र0हे0 84 धमी0	4.65	00	00	00	627.75	316.00	198369.00
4—	ट्रेंच खुदान प्र0हे0 600 रमी0	4.65	00	00	00	1800	10.00	18000.00
5—	गढ्ढा खुदान	5115	0.30	0.30	0.45	5115	7.40	37851.00
6—	निरीक्षण बटिया	4.65	00	00	00	4.65	485.00	2255.25
7—	पौधों का मूल्य प्रथम वर्ष	5115	00	00	00	5115	5.93.00	30331.95
8—	औजार मरम्मत/यंत्र-संयत्र आदि कार्य	4.65	00	00	00	4.65	489.00	2273.85
9—	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य प्र0हे0/वर्ष	4.65	00	00	00	4.65	9150.00	3,74,854.00
				प्रथम् वर्ष			Total-	6,71,830.75
2—	द्वितीय वर्ष 2020—21							
1—	गढ्ढा भरान	5115	0.30	0.30	0.45	5115	1.30	6649.50
2—	ट्रेंचों में बीज बुआन कार्य	1800	3.00	0.45	0.30	1800 Rm.	1.00	1800.00
3—	पौधों का मूल्य द्वितीय वर्ष	5115	00	00	00	5115	1.05	5370.75
4—	1—का ढुलान 80 किमी0 वाहन द्वारा	5115/Hun	00	00	00	5115	16.00	65472.00
	2—पौधों का ढुलान 04 किमी0 सिरबोझ	5115/Hun	00	00	00	5115	16.00	3273.60
	3— लोडिंग— अनलोडिंग	5115	00	00	00	5115	72.00	3682.80
5—	पौधों का रोपण कार्य	5115	00	00	00	5115	2.74	14015.10
6—	निराई—गुडाई दो बार	5115	00	00	00	5115	3.00	15345.00
7—	रासायनिक खाद/दवा आदि पर व्यय	5115/Hun	00	00	00	5115	21.00	1074.15
8—	देख—रेख 09 माह कम से कम 10 हे0	4.65 Hec 6183 के 10 हे0 हिसाब से				4.65	2875.00	25875.00
9—	ज्वलनशील पदार्थों की सफाई	4.65	00	00	00	4.65	367.00	1706.55
10—	घेरवाड के बाहर 4 मी0 पट्टी की सफाई आग से सुरक्षा हेतु	4.65	00	00	00	4.65	277.00	1288.05
11—	ग्रामीणों में जागरूकता 1— प्रशिक्षण/प्रत्साहन	4.65	00	00	00	4.65	866.00	4026.90
12—	अन्य व्यय/साईन बोर्ड/प्रचार—प्रसार	4.65	00	00	00	4.65	1327.00	6170.55
13—	कन्टूर ट्रेंचों /खाईयों मे घास रोपण	4.65	00	00	00	4.65	883.00	4105.95
					द्वितीय वर्ष		Total	1,59,855.9
		प्रथम् एवं द्वितीय वर्ष 6,71,830.75+1,59,855.90 = [illegible],31,686.65						

3–तृतीय वर्ष :–

क्र0	कार्य का विवरण	सं0/ई0	दर	धनराशि
1	2	3	4	5
1–	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथन् वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण 12 माह कम से कम 10.00 हे0 के आधार को मानकर	4.65	8244.00	38,334.60
2–	वनीकरण क्षेत्र से ज्वलनशील पदार्थ की सफाई कार्य	4.60	367.00	1688.20
3–	घेरवाड के बाहर 4 मी0 चौडी पट्टी की आग से सुरक्षा	4.65	277.00	1288.05
4–	गामीणों मे जागरुकता प्रशिक्षण / प्रोत्साहन	4.65	866.00	4026.90
			Total	**45,337.75**
4–चतुर्थ वर्ष				
1–	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण 12 माह कम से कम 10.00 हे0 के आधार को मानकर	4.65	8244.00	38,334.60
2–	वनीकरण क्षेत्र से ज्वलनशील पदार्थ की सफाई कार्य	4.60	367.00	1688.20
3–	घेरवाड के बाहर 4 मी0 चौडी पट्टी की आग से सुरक्षा	4.65	277.00	1288.05
4–	गामीणों मे जागरुकता प्रशिक्षण / प्रोत्साहन	4.65	866.00	4026.90
			Total	**45,337.75**
5–पंचम वर्ष				
5–	रोपण वर्ष उपरान्त तृतीय वर्ष का रख –रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य	4.65	53,024.00 प्रति वर्ष	53,024.00
6- छठा वर्ष				
6–	रोपण वर्ष उपरान्त तृतीय वर्ष का रख –रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य	4.65	53,024.00 प्रति वर्ष	53,024.00
7- सातवां वर्ष				
7–	रोपण वर्ष उपरान्त तृतीय वर्ष का रख –रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य	4.65	53,024.00 प्रति वर्ष	53,024.00
8- आठवां वर्ष				
8–	रोपण वर्ष उपरान्त तृतीय वर्ष का रख –रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य	4.65	53,024.00 प्रति वर्ष	53,024.00
9- नौवा वर्ष				
9–	रोपण वर्ष उपरान्त तृतीय वर्ष का रख –रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य	4.65	53,024.00 प्रति वर्ष	53,024.00
10- दसवां वर्ष				
10–	रोपण वर्ष उपरान्त तृतीय वर्ष का रख –रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य	4.65	53,024.00 प्रति वर्ष	53,024.00
		कुल योग–		12,40,506.15
	अधिक किया गया, नई अनुसूचित दर की बढोतरी पर (+)		15%	1,86,075.92
			Total =	**14,26,582.07**
			or say =	**14,25,300.00**

Or say as Per unit cost Rs 306531/80
4.65 × 306531 = 1425369.00

(उप प्रभागीय वनाधिकारी)
मसूरी वन प्रभाग देहरादून

(वन क्षेत्राधिकारी)
केम्पटी रेंज

(नीलकण्ठ शर्मा)
वन दरोगा

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी